न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर

CNR NO–UPSP40237012026

सरकार बनाम मौ० कासिम

मुकदमा अपराध संख्या–159/2026
धारा–204, 205, 338, 336(3)
बी०एन०एस०
थाना–सदर बाजार, सहारनपुर

02–04–2026

मुकदमा अपराध संख्या 159/2026 अन्तर्गत धारा 204, 205, 338, 336(3) बी०एन०एस० थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर के अपराध के सम्बन्ध में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त **मौ० कासिम पुत्र पुत्तन** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गई कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फॅसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी पर्याप्त जमानत देने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है।

सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर धोखा देने की नीयत से फर्जी पुलिस दरोगा की वर्दी पहनकर घूमने के आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय एवं सात वर्ष से अधिक के कारावास एवं आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। प्रस्तुत मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज ही जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर बल दिया गया है। अतः अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों एवं मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर छोड़े जाने के पर्याप्त आधार नही है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार प्रार्थी/ अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना निरस्त किया जाता है।

(मिनाक्षी सिन्हा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सहारनपुर
J.O. CODE–UP1950